संख्या-18/2018/क0नि0-4-393/11-2018-300(29)/2008

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांकः 27 अप्रैल,2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष-2018-19 हेतु वाणिज्य कर मुख्यालय में क्रियाशील काल सेण्टर (जी0एस0टी0 हेल्प डेस्क) में कार्यरत 09 एजेण्ट की प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0तकनीकी परसन-(2018-19)/03/वाणिज्य कर, दिनॉक-03अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-क0नि0-4-445/11-2017-300(29)/2008, दिनॉक-09जून, 2017 द्वारा उक्त काल सेण्टर में 08 एजेण्ट एवं शासनादेश संख्या-क0नि0-4-553/11-2017-300(29)/2008, दिनांक-07जुलाई, 2017 द्वारा 01 एजेण्ट की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के क्रम में वाणिज्य कर मुख्यालय पर क्रियाशील काल सेण्टर (जी0एस0टी0 हेल्प डेस्क) में कार्यरत 09(नौ) एजेण्ट की माह मार्च, 2018 से माह फरवरी, 2019 तक पारिश्रमिक का भुगतान मासिक बिल के आधार पर सर्वश्री उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड को धनराशि रूपये-25.00 लाख (रूपये-पच्चीस लाख मात्र) के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1.09 मैनपावर के सापेक्ष समूह ' ग ' के उतने ही पद आस्थगित रखे जायेंगे।

2.विभाग सेवा प्रदाता से उक्त सेवा लिये जाने हेतु नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहेंगे तथा पारिश्रमिकों का भुगतान सुसंगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त करेंगे।

2- उक्त कार्य में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में अनुदान संख्या-89 लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0 टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय की मानक मद संख्या-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान ' के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-18/2018/क0नि0-4-393(i)/11-2018, तद् दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4.एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7.गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।